

18.12.24

पत्रावली पेशा छुर्ल। वादीगण एवं उनके अधिकारता अनुपासित। वादीगण को आज न्यायालय के प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार धावाजे लगायी गयी। सानजूद <sup>धावाजे</sup> लगावने के उपरांत भी वादीगण के न्यायालय से दूरि नही जाने के कारन पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 विभाग-3 के तहत सयम धरणी व सयम पैरवी से खारिज की जाती है। पत्रावली जैसल शुमार दीकर नगर ले नाम दीकर शाखिल यन्तर ही।

उपखण्ड अधिकारी  
जोवनेर, जयपुर

*[Faint, illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*